# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी कमांक– R 3928-I-16

हरलाल तनय लम्पुआ अहिरवार निवासी लमेरा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

निगराकार

बनाम

पत्तू तनय गुच्चा अहिरवार निवासी लमेरा तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

प्रतिनिगराकार

निगरानी का कारण–दिनांक 30.06.2016

15-11-16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय एवं संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि निगराकार द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के समक्ष बंटन प्रकरण क्रमांक–1 अ/19/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2000 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी, जिसके आधार थे –

अ. मान्नीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सम्पूर्ण बंटन मध्यप्रदेश 2000 निरस्त किया गया, जिसे आदेश दिनांक 16.01.2003 माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश को मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा उच्च न्यायालय का आदेश स्थित रखा गया था। इस तरह सम्पूर्ण मध्यप्रदेश बंटन न्यायालय श्रीमान् के अनुसार एवं भारतीय संविधान के अनुक्षेद 146 के अनुसार मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सम्पूर्ण देश पर विधि की तरह लागू होता है, जिस पर किसी भी तरह समय सीमा निश्चित नहीं होती। उक्त बंटन के विरूद्ध प्रस्तुत की

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** :–निगरानी–3928–एक/2016 जिला–टीकमगढ़

हरलाल अहिरवार विरूद्ध पत्तू अहिरवार

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22–08–2019 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 1/अ–19/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 29–04–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 11–09–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>(जे0के0 जैन)<br>सदस्य | |